अति–महत्वपूर्ण
जीवन प्रमाण–पत्र शिविर

बिहार सरकार

समाहरणालय,किशनगंज

किशनगंज 855107

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

फोन नं. :– 06456–223281

ई–मेल :– adsskishanganj@gmail.com

–:: आदेश ::–

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक 404, दिनांक 25.2.2020 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के **वैसे पेंशनधारी जिनका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है, अथवा असफल रहा है, उनका प्रमाणीकरण हेतु प्रखंड स्तर पर दिनांक 02.03.2020 से विशेष शिविर आयोजित करने का निदेश** प्राप्त है।

तद्‌लोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश/आदेश दिया जाता है अपने–अपने प्रखंड मुख्यालय में दिनांक 02.03.2020 से भौतिक प्रमाणीकरण का विशेष शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आयोजित शिविर में बिना किसी बाधा के कार्य सुचारू रूप से निष्पादन हो इस हेतु पंचायतवार रोस्टर निर्धारित करते हुए, निर्धारित तिथि को संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव तथा अन्य कर्मी यथा– विकास मित्र, सेविका, सहायिका, टैक्स दरोगा अथवा अन्य की प्रतिनियुक्ति करते हुए शिविर में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। साथ हीं प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को उक्त आयोजित शिविर का अपने–अपने क्षेत्र में वृहत प्रचार–प्रसार कराने का निदेश देते हुए लाभार्थियों को रोस्टर के अनुरूप प्रखंड मुख्यालय में अपने साथ लाने एवं उनका भौतिक सत्यापन करने का निदेश देना सुनिश्चत करेंगे।

उक्त आयोजित शिविर में रोस्टर के अनुसार वैसे पेंशनधारी/लाभार्थी को बुलाया जाना है, जिनका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है।

आयोजित शिविर में उपस्थित वैसे पेंशनधारी/लाभार्थी जिनका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है, अथवा असफल रहा है, उनका प्रमाणीकरण सर्वप्रथम प्रखंड में उपलब्ध कराये गये Finger Print से कराया जायेगा, यदि Finger Print असफल हो जाता है तो उनका प्रमाणीकरण Iris Seanner के माध्यम से कराया जाय। **यदि Finger Print एवं Iris Seanner दोनों माध्यम से प्रमाणीकरण असफल हो जाता है तो संबंधित पेंशनधारी/लाभार्थी का पूर्ण विवरण पंचायतवार संधारित पंजी में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा दर्ज/अंकित करते हुए भौतिक सत्यापन किया जायेगा।**

भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्येक पंचायत में एक पंजी संधारित किया जायेगा, जिसमें निम्न सूचना अंकित किया जाना है :–

क्र0	लाभार्थी का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं आई0डी0 संख्या	लाभार्थी का आधार नम्बर एवं सहमति पत्र	लाभार्थी का ईपिक संख्या	बैंक खाता संख्या (IFSC Code सहित)	फोटो	पंचायत सचिव/कर्मी द्वारा सत्यापन (मेरे द्वारा भैतिक सत्यापन किया गया एवं पाया गया कि लाभार्थी की उक्त सूचना सही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

वैसे सभी लाभार्थी जिनका भौतिक सत्यापन हे[redacted] पंजी में अंकित किया गया है ऐसे सभी लाभुकों का सत्यापन के समय फोटोग्राफ लिया [redacted] फोटोग्राफ लेते समय स्लेट पर उनका नाम एवं आधार संख्या अंकित कर उसे कैमरे के सामने रखते हुए फोटो लिया जाय और इस फोटो का पासपोर्ट साईज प्रिंट निकाल कर पंजी पर उचित स्थान (कॉलम 07) पर लाभुक के नाम के सामने चिपकाया जाय। **इस हेतु शिविर में पूर्व से कैमरामेन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।**

इस कार्य में किसी भी स्तर से कि गयी लापरवाही को गंभीरता से लिय जायेगा।

नोट :– यह स्पष्ट किया जाता है कि भौतिक सत्यापन उन्ही का किया जाना है जिनका Biometric और Iris दोनों प्रकार से सत्यापन नहीं हो सका है। किसी भी स्थिति में लाभार्थी का सीधे हीं भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना है।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 75 /जि0सा0सु0को0, किशनगंज, दिनांक 02 /03/ 2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज/ ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं निदेश है कि प्रखंड मुख्यालय में उक्त आयोजित शिविर में रोस्टर तिथि को टेक्स दरोगा/योग्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वंय भी उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र (सक्षम) किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त आदेश को जिला वेबसाईट पर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार पटना को भवदीय पत्रांक 404, दिनांक 25.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Adityaprakash
29/2/2020
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।